तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी/टिए/2422/2003/बारां** **करीम खॉ बनाम छीतर लाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2019	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी श्री शिवप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") की धारा 230, के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 30–04–2003 को प्रकरण संख्या 503/2002 शीर्षक करीम खॉ बनाम छीतरलाल में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, छबडा के न्यायालय में प्रार्थी/गैर निगराकार द्वारा आराजी स्थित ग्राम शेखापुर खसरा नम्बर 363 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा के सम्बन्ध में अप्रार्थी/निगराकार के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए आवेदन अन्तर्गत धारा 183–बी को दिनांक 22–11–2001 को अविधिक रुप से स्वीकार किया है और इस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील को भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से स्वीकार किया है। योग्य अधिवक्ता का बहस में मुख्य रुप से यही उज्र रहा है कि पूर्व में इसी आराजी के सम्बन्ध में एक दावा किया गया था जो दिनांक 23–4–1979 को तय हुआ है और इस निर्णय के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील, निगरानी या रिव्यू नहीं किाय गया है, अतः वर्तमान प्रकरण में रैस्जुडिकेटा लागू होता है और अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। योग्य अधिवक्तो का बहस में ये भी तर्क रहा है कि प्रार्थी द्वारा धारा 183–बी के अन्तर्गत आवेदन काफी देरी से प्रस्तुत किया है जब कि अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार 183–बी के तहत कार्यवाही करने की निर्धारित मियाद समय सीमा 12 वर्ष रही है, अतः वादी का वाद मियाद समय सीमा से बाधित	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टिए/2422/2003/बारां</u>** **<u>करीम खॉ बनाम छीतर लाल</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रहा है और मियाद के आधार पर ही खारिज योग्य था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई विधिक निर्णय नहीं दिया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी प्रश्नगत भूमि पर पुराने लम्बे समय से काबिज काश्त हैं और आवेदक के खातेदारी अधिकारों का अवसान धारा 63 के तहत हो चुका है, अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को नियम विरुद्ध बताते हुये, निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया। न्यायदृष्टान्त आर0आर0टी0 2008(1) पेज 28 एवं 1993 आर0आर0डी0 पेज 575 को उद्धरित किया। अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी/गैर निगराकार के खातेदारी की भूमि है जो कि अनु0 जाति के व्यक्ति हैं। धारा 42–बी, अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रार्थी को संरक्षण प्राप्त है और निगराकार पक्ष द्वारा ये भी साबित नहीं किया है कि उन्हें आराजी किस विधिक अधिकार के तहत प्राप्त हुई है। किसी प्रकार का कब्जे का साक्ष्य भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। धारा 42 के उल्लंघन में किसी प्रकार का निर्णय गैर निगराकारन के विरुद्ध पारित नहीं किया जा सकत है।प्रकरण में धारा 42–बी का उल्लंघन होने से मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। निगरानी का स्कोप बहुत सीमित होता है, जिसमें यदि क्षेत्राधिकार या विधिक प्रावधानों की किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है तो निगरानी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अधीनस्थ दोनों न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के प्रावधानों की अनुपालना में ही आक्षेपित आदेश पारित कियें हैं। निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार योग्य है। उभय पक्षीय बहस तर्को पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया एवं उद्धरित न्याय दृष्टान्तों का भी ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुताबिक जमाबंदी खतौनी सम्वत् 2056–59 प्रश्नगत आराजी “छीतर पुत्र भेरिया मु0 मांगी बेवा भैरिया जाति चमार सा0 देह रिसा बराबर” अंकित है। स्पष्ट है कि आवेदक अनु0	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टिए/2422/2003/बारां</u>** **<u>करीम खॉ बनाम छीतर लाल</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाति के व्यक्ति हैं और अनु0 जाति के गरीब व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ही धारा 42–बी विशेष विधि के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रार्थी–निगराकार जो कि गैर अनु0 जाति के व्यक्ति हैं और उनके द्वारा प्रश्नगत आराजी पर उनका पुराना सम्वत् 2019 से कब्जा होना व अपने खाते में आराजी का चला आने का कथन किया है किन्तु अपने इस कथन की पुष्टि के लिए किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि उन्हें ये आराजी किस प्रकार से प्राप्त हुई है। जहॉ तक प्रार्थी पक्ष द्वारा धारा 183–बी के तहत मियाद का आक्षेप लिया है तो प्रथम तो आराजी अनु0 जाति के व्यक्ति की है और दूसरा प्रार्थी द्वारा कहीं भी ये नहीं बताया है कि उसके पक्ष में कब अंकन किए गए हैं और क्या उन्हें इसका किसी प्रकार से विधिक आधार रहा है, अतः प्रार्थी पक्ष की ओर से मियाद के बिन्दु पर जो आक्षेप लिया है वह चलने योग्य नहीं है। घारा 42–बी का उल्लंघन होने से अधिनियम की धरा 183–बी के तहत कार्यवाही विधिक कार्यवाही है। इस प्रकार के प्रकरणों में मियाद आडे नहीं मानी जा सकती आती है। **आर.आर.टी. 2004(2) पृष्ठ 1077** उन्वानी नानूलाल व अन्य बनाम रामसहाय व अन्य में इसी बिन्दु पर निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:– Rajasthan Tenancy Act, 1955 - Sec- 183-B- Eviction from land- Tehsildar ordered to evict the non-petitioner from the land of member of Scheduled Cast- Collector set aside the order on the ground of pendency of appeal before RAA- Petitioner declared khatedar by Assistant Collector & restrained the non-petitioner from permanent injunction-In appeal of non-petitioner, no stay granted-Petitioner is a member of Scheduled Caste-Held, order passed by Tehsildar was justified & Collector has committed error in setting asided the order. इसी प्रकार से आर.आर.डी. 1999 पेज 244 उन्वानी जगन्नाथ व अन्य बनाम हीरा में मत दिया गया है :– Rajasthan Tenancy Act, 1955 - Sec- 183-B- Revision against order of Addl. Collector confirming order of eviction by Tehsildar in appeal - Held, disputed land was allotted to non-petitioner and possession handed over - Petitioners trespassed the land on 3-8-92	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टिए/2422/2003/बारां</u>** **<u>करीम खॉ बनाम छीतर लाल</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	inspite of judgement dt. 20-10-70 - Reinstatement application could have been filed against ex-parte order upto 28-5-94 but it was presented on 15-7-94 after period of limitation - Provisions of summary trial in Sec-183-B is provided to beneift the provisions of Scheduled Caste/Tribe - Application is against the basic principles of law -Tehsildar, held acted within jurisdiction and according to law- Order of Addl. Collector, justified . पक्षकारान के मध्य जो पूर्व में वाद संख्या 114/1976 तय किया गया है वह गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं किया गया है और जैसा कि प्रकरण के तथ्यों में सुस्पष्ट है कि प्रकरण धारा 42–बी से संबंधित है, अतः पूर्व के वादपत्र के आधार पर जो कि गुणावगुण पर तय ही नहीं हुआ है, अनु0 जाति के व्यक्ति के हकों को संरक्षण प्रदान नहीं करना धारा 42–बी की मूल भावना के विपरीत ही होगा, अतः इस बिन्दु पर योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जो दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं, वे प्रकरण में पूर्ण रुप से चस्पा नहीं होते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय लेते हुये अपने निष्कर्ष दिये हैं और निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये, इन निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं पाते हैं। फलतः यह निगरानी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	